

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक -प.1(4)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 24/12/19.

-:अधिसूचना:-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्या -1) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.12.2017 की क्रम संख्या 2 के द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, तिजारा को किराया अधिकरण के रूप में गठित कर भिवाड़ी क्षेत्र के प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार प्रदान किया था, को प्रत्याहरित करते हुए, कॉलम संख्या 2 में वर्णित न्यायालय को उसके सामने कॉलम संख्या 3 में वर्णित किराया अधिकरण के रूप में गठित कर सुनवाई का अधिकार प्रदान करती है, जिसका क्षेत्राधिकार सारणी के कॉलम संख्या 4 में वर्णित अनुसार होगा:-

क्र.सं.	वर्तमान न्यायालय का नाम	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
01.	वरिष्ठ सिविल एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी जिला अलवर	किराया अधिकरण, भिवाड़ी जिला अलवर	नगरपालिका क्षेत्र भिवाड़ी

राज्यपाल के आदेश से



(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक अलवर ।

9. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा जिला अलवर।
10. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी जिला अलवर
11. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक स्वायत्त शासन विभाग ।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं ई- गजट में प्रकाशन के लिए ऑन लाईन प्रेषित करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली ।


24-12-24
(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव